न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 7/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

रामचन्द्र पुत्र मोती जाति रैगर नि0 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 26/05/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 460 रकबा 0.5690, ख0नं0 465 रकबा 0.0446, ख0 नं0 473 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.2265 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र पुत्र मोती जाति रैगर हि0 1/2 निवासी ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रामचन्द्र पुत्र मोती जाति रैगर का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 तामली नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के दर्ज पते पर उपस्थित नहीं रहने पर नोटिस चस्पा किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 460 रकबा 0.5690, ख0नं0 465 रकबा 0.0446, ख0 नं0 473 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.2265 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र पुत्र मोती के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रामचन्द्र का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 491 दिनांक 23.02.1985 तहसीलदार फुलेरा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 11.01.1985 की पालना में आवंटी रामचन्द्र पुत्र मोती रैगर के नाम स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र मोती हि0 1/2 के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के अनुसार आवंटी का कोई कब्जा नहीं है तथा अन्य खातेदार द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में यह वर्णित नही किया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आंवटित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किस प्रकार काश्त की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में अप्रार्थी की जाति जाट लिखा गया है। किन्तु राजस्व रिकार्ड एवं पटवारी की रिपोर्ट में जाति रैगर अंकित है। जो विरोधाभासी है। साथ ही बिना विधिक विभाजन के उक्त विवादित आराजीता का कौनसा हिस्सा काश्तके अभाव में आवंटन निरस्त कर राजकीय भूमि हेतु प्रकरण किया गया है, उक्त का जॉच उपरान्त समस्त विवरण अंकित कर पत्रावली प्रस्तुत किया जाना अप्रेक्षित है। अतः प्रार्थी तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर चाराजोही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच करें। तत्पश्चात् नियमानुसार विधि की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26/5/2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर